

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

जिले.....

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

मुकाम.....

बुराराम

बनाम.....

खे राज (1) को

स मुकदमा No 219/27 111/28
RUR AL

नं 118/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/3/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेताराम JALAS</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111/28 RLR AL</u></p> <p>राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>19/4/22</u> को पेश हो।</p>	
19/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरोक्त विप्रार्थी को नोटिस तामिल शुद्धा अप्त जिसे तामिल पत्रावली तामिल गथा। विप्रार्थी को वापस तामिल अनुउपार्थित। तामिल समु लीन वात भावज लागई गई मन्तिय भावज 5.45 pm पर लागई गई विप्रार्थी स्वयं या उनको अगे से कोई अधिवक्ता उपार्थित नहीं हुका विहाज विप्रार्थी को के फेरुह एकरका धार्थवादी समल से लाई जानी है अतः वास्ते लखल पत्रावली दिनांक 01/06/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाडमेर</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाडमेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

01/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान
न्यायालय उपखण्ड अधीन
जुद / 2022 / 551
प्रार्थी
मुराराम पुत्र उजराम जी
जोति जीत नेवलो मुजारी
पटवार माडल भाकदारी
तहसील बायतु
प्रार्थना पत्र अ
राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

मांक : वाद / 2022 / 541

दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भुराराम पुत्र उदाराम वगैरा 03,
जाति जाट, निवासी सुजानिया नाडीया,
पटवार मण्डल अकदड़ा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. खेराजराम पुत्र लालाराम वगैरा 18,
जाति मेघवाल, निवासी सुजानिया नाडीया,
पटवार मण्डल अकदड़ा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 118 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - सुजानिया नाडा, पटवार मण्डल - अकदड़ा तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 617/409 रकबा क्रमशः 9.9022 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 842 - 846

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को गय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भुराराम पुत्र उदाराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री खेराजराम पुत्र लालाराम वगैरा 18,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 01/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर